2906

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

0 2 MAY 2016

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 877588

लीजडीड तीस वर्ष की अवधि का जिस पर स्टाम्प शुल्क **अंकन 10,000/–रूपया** के छःगुणे मूल्य **अंकन 60,000/–रूपया** पर **अंकन 2500/–रूपया** का अदा किया गया है।

यह लीजडीड आज स्थान गाजियाबाद **सुन्दर दीप एज्युकेशनल सोसाइटी,** NH-24, सुन्दरदीप नगर, डासना, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद {उत्तर प्रदेश} द्वारा जनरल सेक्रेट्री **श्री महेन्द्र अग्रवाल** पुत्र स्व0 श्री दीपचन्द निवासी 146, मॉडल टाउन ईस्ट, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद प्रथम पक्ष {मालिक सम्पत्ति}

एवं **सुन्दर दीप कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट टैक्नोलॉजी,** NH-24, सुन्दरदीप नगर, डासना, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद {उत्तर प्रदेश} द्वारा **श्री राजीव गुप्ता** पुत्र स्व0 श्री सुरेशचन्द गुप्ता निवासी 146, मॉडल टाउन ईस्ट, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद द्वितीय पक्ष, के मध्य किया गया।

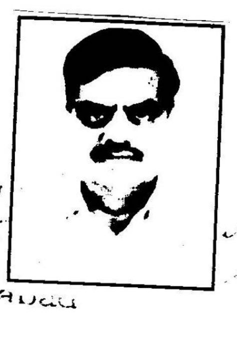

Sanjay

Ghaziabad

16 5 MAY 2016

क्र संख्या..............................तिथि..........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन............सुन्दर दीप एज्युकेशनल सोसाइटी द्वारा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.........................

....द्वारा महेन्द्र अग्रवाल

स्टाम्प की धनराशि.......................................

अरविन्द गोयल - स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 15

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च 20

चैम्बर नं0 ९, तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

पट्टा विलेख (30 वर्ष)

प्रतिफल	मालियत	औसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्टों की संख्या
		9,996.00	1,220.00	60	1,280.00	14

श्री सुन्दर दीप कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट द्वारा राजीव गुप्ता पहचान

पुत्र श्री स्व0 सुरेशचन्द गुप्ता

व्यवसाय व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी स्थायी 146 मॉडल टाउन ईस्ट गा0 बाद

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 5/5/2016 समय 2:53PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजय श्रीवास्तव

उप निबन्धक,प्रथम

गाजियाबाद

5/5/2016

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

श्री सुन्दर दीप एज्युकेशनल सो0 द्वारा महेन्द्र अग्रवाल डी0 एल0

पुत्र श्री स्व0 दीपचन्द

पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी 146 मॉडल टाउन ईस्ट गा0 बाद

पट्टा गृहीता

श्री सुन्दर दीप कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट द्वारा राजीव गुप्ता पहचान

पुत्र श्री स्व0 सुरेशचन्द गुप्ता

पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी 146 मॉडल टाउन ईस्ट गा0 बाद

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान विजय कुमार पहचान पत्र

सुरेश चन्द

पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी तहसील कम्प0 गा0 बाद

व संजय कुमार बंसल एड0 बार आई डी

पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी 90 तहसील कम्प0 गा0 बाद

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजय श्रीवास्तव

उप निबन्धक,प्रथम

गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

02 MAY 2016

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विदित होकि **ग्राम डासना,** परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के **खसरा नम्बर 2476** की भूमि 0.874 एकड एवं **खसरा नम्बर 2477** की भूमि क्षेत्रफल 0.718 एकड योग नम्बरान दो कुल क्षेत्रफल 1.592 एकड अर्थात 0.645 हैक्टेयर की प्रथम पक्ष सुन्दर दीप एज्युकेशनल सोसाइटी विक्रय पत्रों द्वारा खरीद कर स्वामी व अधिपति है। उपरोक्त भूमि का प्रयोग कृषि नहीं है। कृषि से अन्य प्रयोग है। उपरोक्त भूमि पर भवन निर्मित है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 143 के अर्न्तगत उक्त भूमि को कृषि इतर अन्य प्रयोग की भूमि घोषित किया हुआ है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि को शिक्षण संस्था हेतु **दिनांक 01–01–2015** से **30 वर्ष {तीस वर्ष}** की अवधि के लिए लीज पर दे दिया है। निम्न लिखित शर्ते पक्षकारों ने अपनी खुशी, रजामंदी, शुद्ध बुद्धि, स्वस्थ इन्द्रियों से बिना किसी बहकाव व धमकाव के प्रभावित होते हुए तय की है, जिनके पक्षकारान व उनके उत्तराधिकारी गण पाबन्द रहेंगें।

Sanjay Kumar

17 5 MAY 2016

क्रम संख्या ....तिथि...............

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.............. सुन्दर दीप एज्युकेशनल सोसाइटी

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता..............

....

स्टाम्प की धनराशि..............

अरविन्द गोयल - स्टाम्प विक्रेता

लाइसैंस नम्बर 15

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च 20

चैम्बर नं० , तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

पट्टा दाता

Registration No.: 2906 Year : 2,016 Book No. : 1

0101 सुन्दर दीप एज्युकेशनल सो0 द्वारा महेन्द्र अग्रवाल डी0 एल0

स्व0 दीपचन्द

146 मॉडल टाउन ईस्ट गा0 बाद

व्यापार/अन्य/स्त्री

07 APR 2015
Chief Treasury Officer

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1—यहकि पक्षकारों के मध्य उक्त सम्पत्ति की लीज दिनांक **01—01—2015 {एक जनवरी सन दो हजार पन्द्रह}** से प्रारम्भ होकर तीस वर्ष की अवधि के लिए अर्थात **दिनांक 31—12—2044 {इकत्तीस दिसम्बर सन दो हजार चवालीस}** तक कायम रहेगी।

2—यहकि पक्षकारों के मध्य उक्त सम्पत्ति का **लीजरेन्ट अंकन 10,000/— रूपया (दस हजार रूपया) वार्षिक** तय पाया है। लीज की अवधि के दौरान लीजरेन्ट में कम या अधिक करने का अधिकार किसी भी पक्ष को नहीं होगा

3—यहकि द्वितीयपक्ष ने **अंकन 10,000/— रूपया (दस हजार रूपया)** द्वितीय पक्ष को नकद पेशगी अदा किये है, जो लीज की अवधि के अन्तिम वर्ष के लीजरेन्ट में समायोजित होगा।

4—यहकि द्वितीय पक्ष तय शुदा लीजरेन्ट **अंकन 10,000/—रूपया (दस हजार रूपया)** हर वर्ष नकद/चैक द्वारा पेशगी प्रथम पक्ष को अदा करते रहेंगे। बिना लिखित प्रमाण के हर आपत्ति गलत व नाजायज मानी जावेगी।

1P/16

5 MAY 2016

क्रम संख्या....16
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.......
स्टाम्प क्रेता का नाम ... पता.... सुन्दर दीप एज्युकेशनल सोसाइटी

अरविन्द

20

कम्पाउन्ड,

पट्टा गृहीता

Registration No. : 2906 Year : 2,016 Book No. : 1

0201 **सुन्दर दीप कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट द्वारा राजीव गुप्ता पहचान**

स्व0 सुरेशचन्द गुप्ता

146 मॉडल टाउन ईस्ट गा0 बाद

व्यापार/अन्य/स्त्री

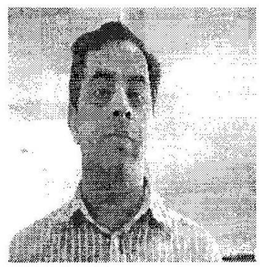

5—यहकि द्वितीय पक्ष लीज पर ली हुई सम्पत्ति पर अपनी आवश्यकता अनुसार शैक्षिक प्रयोजन हेतु किसी प्रकार का स्थायी अथवा अस्थायी अतिरिक्त निर्माण कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति की खाली भूमि को अपने किसी प्रयोग में ला सकेंगे।

6—यहकि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को किसी अन्य को शिकमी लीज पर नहीं दे सकेंगे। यदि ऐसा करेंगें तो द्वितीय पक्ष व शिकमी दोनों बेदखली के योग्य होंगे।

7—यहकि लीज की अवधि में समय पर हर वर्ष पेशगी लीजरेन्ट अदा करते रहने की दशा में प्रथम पक्ष उक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष से खाली नहीं करा सकेंगे।

8—यहकि यदि द्वितीय पक्ष लीज की अवधि में उपरोक्त सम्पत्ति को अपने कब्जे से छोडना चाहेंगे तो तीन माह पूर्व लिखित में सूचना देकर छोड सकेंगे तथा उक्त सम्पत्ति को अपने कब्जे से खाली करके प्रथम पक्ष का कब्जा वास्तविक रूप से करा देंगें।

9—यहकि दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न हर विवाद का निबटारा जनपद गाजियाबाद न्यायालय द्वारा ही कराया जा सकेगा।

Sanjay Ku nsal
Ghaziabad

Sanjay Ku
Ghaziabad

गवाह

Registration No.: 2906 Year : 2016 Book No. : 1

W1 विजय कुमार पहचान पत्र

सुरेश चन्द

तहसील कम्प0 गा0 बाद

व्यापार/अन्य/स्त्री

W2 संजय कुमार बंसल एड0 बार आई डी

90 तहसील कम्प0 गा0 बाद

व्यापार/अन्य/स्त्री

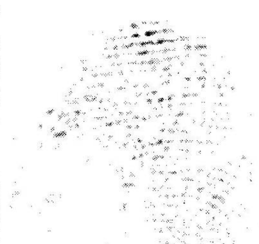

अतः यह लीजप्रलेख लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

________________ ________________

गवाहः

{विजय कुमार} पुत्र श्री सुरेश चन्द तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद।

गवाहः

{संजय कुमार बंसल एडवोकेट} 90 तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद।

दिनांकः 05–05–2016 ई0, मसौदा संजय कुमार बंसल एडवोकेट 90, तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद।

05/05/2016

Sanjay Kumar Bansal
Advocate
Ghaziabad

आज दिनांक **05/05/2016** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **13762**

पृष्ठ सं. **109** से **122** पर कमांक **2906**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजय श्रीवास्तव

उप निबन्धक,प्रथम

गाजियाबाद

5/5/2016

उत्तर सब रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
* उत्तर प्रदेश *